

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>क्र. 11-2018-18</p> <p>अ. 11-2018-18</p> <p>अ. 11-2018-18</p> <p>शुद्धी</p> <p>म. प्र. 11-2018-18</p> <p>21/11/2018</p> <p>21/11/2018</p> <p>म. प्र. 11-2018-18</p> <p>अ. 11-2018-18</p> <p>समपंच</p> <p>ग्राम पंचायत पाटन</p> <p>पंचायत समिति बस्सी (जयपुर)</p>	<p>8-5-18</p>	<p>पत्रावली क्र. 21/11/2018 लोक अदालत न्याय आदेश द्वारा केस कोर्ट पाटन में फेर डई। यहाँ व अग्रिमिक सं. 3.47 उपस्थित है जिसमें पत्रिका अर्पित पत्र केबाह पाटन ने की है। मूल वाद में यथेना पत्र वाद निर्यात होने से उक्त यथेना पत्र अग्रिमिक निवेधान के अंग यथापे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रथम का यथेना पत्र अग्रिमिक निवेधान रवाज किया जाये। न्यायालय द्वारा दिनांक 16-2-18 को जारी पत्र अदेश पत्र 21/11/2018 से निर्यात किया जाये है पत्रावली नम्बर से चले ही।</p> <p>आज्ञा दिनांक 8-5-18 को पत्र निर्यात रवाज लोक अदालत न्याय आदेश द्वारा केस कोर्ट पाटन में अर्पित आदेश में सुनाया।</p> <p style="text-align: right;">Sud 8-5-18.</p>	